प्रवेशार्थी निर्देशिका

2024–2025

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय
महाविद्यालयों एवम् शिक्षण संस्थानों में प्रभावी होगा।

(प्रवेश नियम, उपस्थिति तथा शैक्षणिक कलैण्डर)

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड–249199

जीवन परिचय

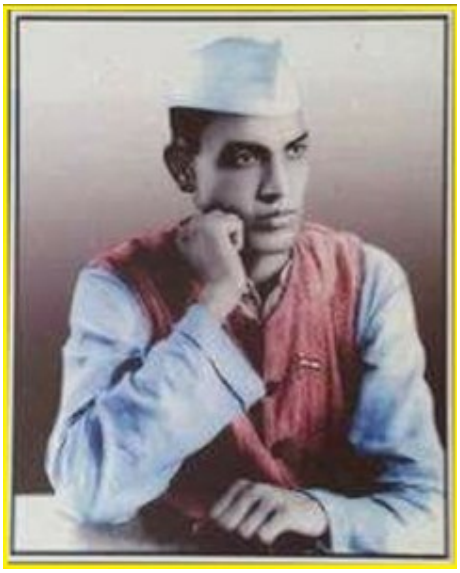

अमर शहीद श्रीदेव सुमन

जन्म 25 मई 1916 पुण्य तिथि 25 जुलाई 1944

श्रीदेव सुमन जी का जन्म 25 मई 1916 को बमुण्ट पट्टी के जौल गाँव में हुआ था। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा चम्बा के प्राथमिक विद्यालय में हुई। विद्यार्थी–जीवन में ही आप सन् 1930 ई0 के नमक–सत्याग्रह के दौरान देहरादून में सत्याग्रही जत्था में शामिल हो गये। जिससे आपको 15 दिनों के लिए जेल में रहना पड़ा और कुछ बेतों की सजा देकर रिहा किये गये। सन् 1931 को टिहरी से हिन्दी मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण कर उसी दौरान देहरादून के नेशनल हिन्दू स्कूल में अध्यापन के साथ–साथ अध्ययन कार्य भी करने लगे। कुछ महिनों बाद लाहौर जाकर पंजाब विश्वविद्यालय की हिन्दी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गये। आपने पंजाब विश्वविद्यालय की रत्न, भूषण और प्रभाकर की परीक्षाएं ससम्मान उत्तीर्ण करने के उपरान्त हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विशारद और साहित्य रत्न की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की। पत्रकारिता से आपको काफी लगाव था। आपने श्री परमानन्द द्वारा संचालित हिन्दू साप्ताहिक में सम्पादन का कार्य किया। इसके अतिरिक्त आपने जगद्गुरु श्री शंकराचार्य जी के अंग्रेजी साप्ताहिक धर्म–राज्य में भी सम्पादन का कार्य किया। सन् 1937 में आपने शीतकाल में वर्धा जाकर राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यालय में कार्य किया। कुछ माह बाद इलाहाबाद जाकर श्रीलक्ष्मीधर बाजपेयी द्वारा संचालित साप्ताहित राष्ट्र–मत के सहकारी सम्पादक का भी कार्य आपके द्वारा किया गया।

मात्र 20 वर्ष की आयु में आपने 22 मार्च 1936 ई0 को गढ़देश सेवा संघ का गठन किया। 17 जून, 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में सम्पन्न राजनीतिक सम्मेलन में प्रतिभाग कर अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 23 जनवरी, 1939 को आपके द्वारा टिहरी राज्य प्रजा मण्डल का गठन किया गयां 17 व 18 फरवरी, 1939 को लुधियाना पंजाब में देशी राज्य लोक परिषद् की बैठक में आपके द्वारा प्रतिभाग किया गयां जहाँ सांमतशाही जुल्मों सितम की

दास्तान देश के नेताओं के सामने रखी। सुमन जी को हिमालय क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाया गया। 18 फरवरी, 1939 को लोक परिषद् स्टैंडिग कमेठी के आप सदस्य मनोनीत किये गये। सन् 1940 ई0 को आप वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली के सम्पर्क में आये। 1940 में श्रीदेव सुमन के भाषणों पर राजदरबार द्वारा पहला प्रतिबंध लगाया गया। 11 मई, 1941 को राजदरबार द्वारा दो मास के लिए श्रीदेव सुमन को राज्य से बाहर निर्वासित किया गया। 01 जुलाई 1941 को निष्कासन आज्ञा भंग पर उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा 11 जुलाई 1941 को कीर्तिनगर में उनकी रिहाई की गई। सन् 1942 में श्रीदेव सुमन ने सेवाग्राम पहुँच कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेकर रियासत की दास्तान से उन्हें अवगत कराया। 22 मई, 1942 को श्रीदेव सुमन को उनके साथियों सहित गिरफ्तार कर आगरा सेन्ट्रल जेल भेजा गया और कुछ समय पश्चात् रिहा किया गया। वहाँ उन्होंने क्रांतिकारी गीत लिखे। 19 जुलाई, 1942 को राजशाही द्वारा मुनिकीरेती राजनैतिक सभा पर रोक का फरमान जारी किया गया और 29 अगस्त, 1942 को श्रीदेव सुमन को देवप्रयाग में पुनः गिरफ्तार किया गया और आगरा सैन्ट्रल जेल भेज दिया गया। 19 नवम्बर, 1943 को आगरा सैन्ट्रल जेल से श्रीदेव सुमन को रिहा किया गया और 30 दिसम्बर, 1943 को चम्बा में फिर से गिरफ्तार किया गया, वही उनका आखिरी दिन था जब उन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा गया। 21 फरवरी 1944 को टिहरी कारावास में उन्हें साजिश के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास व 200 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

जब जेल प्रशासन की क्रूर यातनांए और बढ़ती गई तो उस सपूत ने 03 मई, 1944 को टिहरी कारागार में ही अपना ऐतिहासिक आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। आमरण अनशन के पीछे उनकी तीन मांग थी पहली उन्हें जेल के अन्दर से पत्र व्यवहार की सुविधा दी जाए, दूसरी झूठे मुकदमों की अपील राजा द्वारा स्वयं सुनी जाय व तीसरी टिहरी राज्य प्रजामण्डल को पंजीकृत करके उसे राज्य के अन्दर जनसेवा का मौका दिया जाय। राजशाही द्वारा इन तीनों मांगों को अस्वीकार कर दिया गया। आखिरकार उस वीर सपूत को ऐतिहासिक 84 दिन की भूख हड़ताल के दौरान कांच पीसकर पिलाया गया, जिससे उन्होंने 25 जुलाई, 1944 को अपने प्राण प्रसून कर दिये।

उद्भव एवं विकास

हिमालय की गोद में भिलंगना एवम् भागीरथी घाटी पर स्थित **श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय** उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–357/XXXVI/(3)2011/57(1)/2010 दिनांक 04 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना द्वारा यहां के निवासियों एवम् जनप्रतिनिधियों के लम्बे संघर्ष से पं0 दीन दयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम से दिल्ली–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 58 स्थिति चम्बा से 03 किमी की दूरी एवम् नई टिहरी मुख्यालय से 08 किमी0 की दूरी पर स्थापित किया गया।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 270/XXXVI/(3)2012/48(10)/2012 दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 के द्वारा इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर **श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल,** टिहरी गढ़वाल किया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना के समय विश्वविद्यालय के पास किसी भी प्रकार के भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अथक अविरल, भगीरथ प्रयास किये गये।

छात्रों की सुविधा हेतु विश्वविद्यालय का कैम्प कार्यालय विश्वविद्यालय परिषद ऋषिकेश में अवस्थित है।

इस मध्य विश्वविद्यालय को एसोशियेशन ऑफ इण्डियन यूनीवर्सिटीज (ए0आई0सी0) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) की सूची में सम्मिलित कराया गया।

उद्भव और स्वरूप

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र एवं राज्य के युवाओं को गुणवत्ता युक्त रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ–साथ नवीन पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं विकास, उच्च स्तरीय गुणवत्ता परक अनुसंधान कार्य, नवीन एवं तकनीकी युक्त विभिन्न शिक्षण विधियों/प्रविधियों का विकास, उपयुक्त अधुनातन आधारिक संरचना की उपलब्धता, विषय विशेषज्ञता युक्त दक्ष एवं अनुभवी मानव संसाधन, उत्कृष्ट परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली का विकास, प्रतिभोद्घाटक अध्यापन कार्य, कुशल एवं दक्षतापूर्ण नैत्रत्व तथा प्रशानिक क्षमता का विकास, उत्कृष्ट पाठ्य–सहगामी क्रियाओं का संचालन, सम्यक खेल–कूद गतिविधियों एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का उन्नयन, उन्नत एवं अधुनातन पुस्तकालीय तथा प्रयोगशालीय सुविधाओं की उपलब्धता और युवाओं का चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक परिपूर्णता युक्त व्यक्तित्व निर्माण करना तथा दूर दृष्टितापूर्ण वैचारिक उन्नयन करना है।

इसके अतिरिक्त राज्य के गढ़वाल परिक्षेत्र के सात जिलों (टिहरी, पौड़ी, चमोली, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून तथा हरिद्वार) को उनके सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक एवम् शैक्षिक विकास में सहयोग देने के साथ–साथ क्षेत्र की बहुपक्षीय आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय का मौलिक कार्य ज्ञान का अर्जन, प्रचार–प्रसार करना है। उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्र की जन आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ–साथ विश्वविद्यालय को यहां की चुनौतियों का सामना एवम् समस्याओं का समाधान भी करना है।

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का स्वरूप एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में है जिसे उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा द्वारा एक अधिनियम पारित कर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–357/XXXVI/(3)2011/57(1)/2010 दिनांक 04 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना द्वारा राज्य विश्वविद्यालय के रूप में पं0 दीन दयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया।

पाठ्यक्रमीय संगठन की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनेक संकायों (Faculties) यथा–कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं शिक्षा में बंटा है जिनके अन्तर्गत स्नातक एवं परास्नातक स्तर के विभिन्न विषय संचालित किये जा रहे है। वर्तमान में विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं शिक्षा की स्नातकोत्तर उपाधियों के साथ–साथ कला संकाय में 19 आधारभूत विषयों तथा विज्ञान संकाय में 11 आधारभूत विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 25 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर तथा 30 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक उपाधियां भी प्रदान की जा रही है। सत्र 2022–2023 से विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान, शिक्षा एवं वाणिज्य संकायों के विषयों में शोध उपाधियों (Ph.D) का भी शुभारम्भ किया जा रहा है। छात्र–छात्राओं को विभिन्न विषयों में उपाधियां प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष समावर्तन समारोह (Convovation) आयोजित किया जाता है।

प्रशासनिक संघठन की दृष्टि से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति उत्तराखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय हैं तथा विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण प्रशासनिक दायित्व के निर्वाहन हेतु माननीय कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, उप कुलसचिव एवं सहायक परीक्षा नियंत्रक नियुक्त है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय के दो परिसर (राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर एवं पं0 ललित मोहन शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋषिकेश) तथा विश्वविद्यालय से 53 राजकीय महाविद्यालय, 114 स्ववित्त पोषित संस्थानों सहित कुल 167 महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित शैक्षिक संस्थान सम्बद्ध है। जिनमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के सभी आधारभूत पाठ्यक्रमों के साथ–साथ लगभग 60 व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं।

प्रवेश नियम व अध्यादेश

(Admission Rules & Ordinance in accordance with NEP-2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 पर आधारित

स्नातक पाठ्यक्रमों

(बी0ए0, बी0एस–सी0, बी0कॉम0)

के लिए प्रवेश नियम व अधिनियम

शैक्षणिक सत्र 2024–25

Also available at www.sdsuv.ac.in

प्रवेश नियम

(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक वर्ष 2024–2025 से प्रभावी)

अध्याय–1 साधारण नियम–

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगें जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय–परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये 56 जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के

किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अर्न्तगत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/ संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1– अनुसूचित जाति	**19 प्रतिशत**
2– अनुसूचित जनजाति	**04 प्रतिशत**
3– अन्य पिछड़ा वर्ग	**14 प्रतिशत**
4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	**10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)**

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) **अनुमन्य होगा–**

1) महिलाऐं	**30 प्रतिशत**
(2) भूतपूर्व सैनिक	**05 प्रतिशत**
(3) दिव्यांग	**04 प्रतिशत**
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	**02 प्रतिशत**

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देर्शों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days
(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
(iii) Waiving of domicile requirements.

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क)	एन0सी0सी0 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख)	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
(ग)	प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/ पुत्री/पति/पत्नी/ सगाभाई/बहन–	20 अंक
(घ)	जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/ सगाभाई/बहन–	20 अंक
(ङ)	अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च)	अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ)	शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज)	राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ)	अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ञ)	अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
(ट)	जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/ मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ठ)	अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की	

किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक

नोट – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.15 (क) स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त –

1. शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में 02 वर्षों के भीतर स्नातक कक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
2. अभ्यर्थी की शिक्षा में अवरोध न होने की स्थिति में त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्ताकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे।)
3. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी। व्याख्या (Explanation) :– यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षो की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।
4. भविष्य में यू0जी0सी0 अथवा एन0 एच0 ई0 क्यू0 एफ0 के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

1.16 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (**टी0सी0 सी0 सी0**) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.17 एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/ महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एड–ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007 (CPP-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1.18 क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.19 अभ्यथी द्वारा संबंधित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से संबंधित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के संबंध में भी लागू होगा।

1.20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

अर्हता निर्धारण के नियम
(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2024–2025 से प्रभावी)

अध्याय–2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम –

2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :–

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्अर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं संबंधित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2.3 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

2.4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2.5 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2.6 The candidates for the Under-Graduate programs shall have to two compulsory paper/ subject and choose one optional-subject combinations as per the group-scheme provided below:

(a) For Bachelor of Science (B.Sc.) :

(i) Subjects available in the group A and B are compulsory for the candidate.

(ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from group C mentioned below from its own faculty or from the *other faculty.

*Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.

Mathematics groups :		
Group A	**Group B**	**Group C**
Mathematics	Physics	Chemistry Computre Science Information Technology Geology Statistics

Biology groups :		
Group A	**Group B**	**Group C**
Botany	Zoology	Chemistry Information Technology Geology Forestry Agriculture

(b) **For Bachelor of Art (B.A.) :**

(i) A candidate has to opt for two major subjects from the group mentioned below by taking one subject from any group.

(ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from the groups mentioned below (own faculty) or from the *other faculty.

*Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
English Literature Gharwali Bhasa Sanskrit Literature	Drawing and Painting Economics Home Science Physical Education Psychology	Geography History Music Yoga	Education Sociology	Hindi Literature	Political Science

(c) For Bachelor of Commerce (B.Com.) :

(i) A candidate has to opt two major papers from its own faculty.

(ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from its own faculty or from the *other faculty.

*Candidate must check theprerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting	Business Regulatory Framework	Business Organisation & Management
		Business Communication

- Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.

वैधानिक नियन्त्रण –

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

Annexure - 1

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/ अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर–

प्रति हस्ताक्षरित

(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती ..... जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर–पिता/अभिभावक

अध्यादेश (Ordinance)
बी0ए0 / बी0एस–सी0 / बी0कॉम0 पाठ्यक्रम हेतु
(शैक्षणिक सत्र 2024–2025 से प्रभावी)

1. परिभाषाएं –

1.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा बी0ए0, बी0एस–सी0, बी0कॉम0, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस–सी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पीएच0डी0 इत्यादि।

1.2 संकाय (Faculty)–

1.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

1.2.2 विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जायेगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

1.3 विषय (Subject)–

1.3.1 संस्कृत, हिंदी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

1.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

1.4 कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course/Paper)–

1.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी / प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

1.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

2. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर (Annexure-1)

2.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (वूद बिनसजल) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

2.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

2.3 विद्यार्थी द्वितीय / तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

2.4 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

2.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में (4 / 5 / 6 क्रेडिट) का होगा।

2.6 माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय (own faculty or other faculty) से लेना होगा और इसके लिए किसी भी चतम.तमुनपेपजम की आवश्यकता नहीं होगी।

2.7 बहुविषयकता (Multidisplinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।

2.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो।

2.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

2.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय क्ज्रेसीटों के आधार पर माइनर विषय को आबंटित कर सकता है। तृतीय, पाँचवे एवं छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

2.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है।

2.12 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर कि कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स कि कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

2.13 ऐसे महाविद्यालयों/संस्थान जहाँ पर केवल 01 ही संकाय है वहाँ विद्यार्थी अपना चतुर्थ पेपर (Minor Elective) भारत सरकार/यू0 जी0 सी0/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाईन प्लेटफार्मों में समान क्रेडिट के पाठ्यक्रमों के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं।

3- कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses) (Annexure - 1)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक–एक कौशल विकास कोर्स (3X4=12 क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम) पूर्ण करना होगा।

4- सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) (Annexure - 1)

4.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) करना अनिवार्य होगा ।

4.2 विद्यार्थी को हर सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) को 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

5. मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (Open Online Course)

5.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 per cent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality-assured MOOC programmes offered on the SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.

5.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू. जी. सी./उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCS इत्यादि) के माध्यम से भी समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू. जी. सी./उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. शोध परियोजना (Research Project)

6.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी.जी.डी.आर. में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

6.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना Interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

6.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

6.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

6.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

6.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी. जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण (Annexure - 1)

7.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

7.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

7.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

7.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सार्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले

सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

7.5 यदि कोई योग्य विद्यार्थी (fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण 67 करने के लिये स्वतंत्र होगा।

7.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

7.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य (Major) विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

7.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी ।

7.9 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि–क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8. स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7

B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-44	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

9. उत्तीर्ण प्रतिशत

9.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

9.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

9.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (Co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project) Qualifying है तथा इनके उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होंगे।

9.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

9.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.6 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.7 किसी भी कोर्स/ पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयें में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

9.8 किसी भी प्रकार के कृपांक ;ळतंबम डंतोद्ध नहीं दिये जायेंगे।

10. कक्षान्नोति (Promotion)

10.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

10.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के सांथ दी जायेगी :–

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्षों (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माईनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying Paper (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेड्टिस उत्तीर्ण कर लिये हों।

10.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नही गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

11. बैक पेपर परीक्षा

11.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विष्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

11.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

11.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

11.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक चाहें कितने भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

12. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :– यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

13. SGPA एवं CGPA की गणना –

13.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जायेगी :

jth semester के लिए – SGPA (Sj) = $\sum$(Ci xGi) / $\sum$Ci	यहाँ पर – Ci = number of credits of the ith course in jth semester Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester
CGPA = $\sum$(Cj x Sj) /$\sum$Cj	यहाँ पर – Sj = SGPA of the jth semester Cj = total number of credits in the jth semester

13.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का अगणन निम्नवत् किया जायेगाः–

CALCULATION OF SGPA

Subject	Course	Course Type	Credits of Paper	Internal Assessment	External Assessment	Total Max Marks 100	Grade	Grade Point	Grade Value**
				Max. Marks 25	Max. Marks 75				
Physics	Course 1 (Th)	Major	4	12	46	58	B	6	24
	Course 2 (Pr)	Major	2	22	70	92	O	10	20
Chemistry	Course 1 (Th)	Major	4	24	65	89	A+	9	36
	Course 2 (Pr)	Major	2	23	66	89	A+	9	18
Economics	Course 1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	8	48
History	Course 2 (Pr)	Minor	4	21	60	81	A+	9	36
Personality Development	Co-curricular Course	Co-Curricular	Qualifying	19	45	64	Q		
	Total		**22**						**182**
				Theory Evaluation Max Marks 40	Theory Evaluation Max Marks 60				
Cyber Security	Vocational Course	Skill	3	20	67	87	A+	9	27

**Grade Value= Grade Point X Credit
The Semester Grade Point Average (SGPA)=Total Grade Value/Total Credis=209/25=8.36 (In a semester)
Note: Take only two digits after decimal in all the calculations

Calculation of CGPA

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
Credit : 25	Credit : 21	Credit : 25	Credit : 21
SGPA : 8.36	SGPA : 6.08	SGPA : 8.90	SGPA : 7.22

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade Value/Total Credits
(In all the semester till now)
Thus, CGPA = (25x 8.36 +21 x 6.08 +25 x 8.90 +21 x 7.22)/92 = 7.73

Hence, equivalent percentage = 7.73 x 9.5 = 73.44
And the Division will be First

13 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA

14. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

14.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

14.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

14.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करना है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. व्याख्या खंड/वैधानिक नियन्त्रण

इस अध्यादेश के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली व्याख्या के किसी भी मुद्दे के मामले में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में, सर्वोच्च प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

ANNEXURE 1

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Tranining/ Survey/ Research Project	(Minimum Credits) for the Year	(Cumulative Minimum Credits) Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational Skill Developmnt Course	Co-Cumicular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th1(6)or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th1(6)or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th1(6)or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(46) Certificate in Faculty
	II	Th1(6)or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th1(6)or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th1(6)or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th1(6)or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th1(6)or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th1(6)or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(92) Diploma in Faculty
	IV	Th1(6)or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th1(6)or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th1(6)or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th2(5)or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th2(5)or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	(132) Bachelor in Faculty
	VI	Th2(5)or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th2(5)or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th4(5)or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1(4/5/6)			1 (4)	52	(184) Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th4(5)or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th4(5)or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	(232) Master in Faculty
	X	Th4(5)or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4) Methodology					1 (Qualifying)	16	(248) PGDR in Subject
6,7, 8	XII-XVI							Ph.D. Thesis		Ph. D. in Subject

%उपस्थिति नियम (Rules for Attendance)

विश्वविद्यालय के परिसर गोपेश्वर एवं ऋषिकेश के स्नातक स्तर पर सैमेस्टर तथा अन्य सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों तथा निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर वार्षिक प्रणाली लागू है तथा व्यावसायिक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू है। शासनादेश संख्या– 528(1)15–(उच्च शिक्षा)71/97, दिनांक–11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र/ छात्रा विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक यह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में पृथक–पृथक 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता। विज्ञान अथवा ऐसे अन्य विषयों जिनमें प्रयोगात्मक विषय है शिक्षण कार्य अवधि में 75% उपस्थिति अपेक्षित होगी।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में व्याख्यान और सेमिनार/प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक–पृथक 5% तक की छूट सम्बन्धित विषय/प्रश्न पत्र के प्रभावी अध्यापक जिसे सम्बन्धित संस्थान के संकायाध्यक्ष (डीन)/प्राचार्य/निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया हो तथा 10% की छूट माननीय कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1 (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो।

या

(ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर।

2. विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर स्नातक छात्र/छात्राओं को विशेष अध्ययन के निमित्त किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान तथा उच्च अध्ययन के लिए किसी केन्द्र में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य के लिए कुलपति द्वारा 6 सप्ताह तक की अवधि की अनुमति दिये जाने पर कुलपति द्वारा उपस्थिति न्यूनता का मार्जन किया जा सकेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति सूचित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थी को उस संस्थान के जहाँ उस विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, अध्ययन कक्षाओं में उपस्थिति, प्रयोगात्मक कार्य, पुस्तकालय में कार्य करने की तिथियों के निर्देश सहित उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन०सी०सी० शिविर, खेलकूद के समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता मार्जन कर दिये जायेगा, बशर्ते सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अनुपस्थिति रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किय गया हो।

नोट :– बी०ए०/बी०एस०सी०/बी०कॉम०/एम०ए०/एम०एस०सी०/एम०कॉम० तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जायेगी।

आचार संहिता (Code of Conduct)

विश्वविद्यालय में प्रवेशित समस्त छात्रों पर लागू होने वाली आचार संहिता

खण्ड – 1

छात्र/छात्राओं की अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार पर अंकुश

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रध्छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक विद्यार्थियों अथवाव्यक्तियों के समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियों को अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संस्थान या संस्थान की किसी इकाई में किसी शिक्षक, कार्यकारी किसी अनिकरण इकाई अथवा अन्य निकाय के सदस्य शिक्षणेत्तर कर्मचारी अथवा ऐसे किसी संस्थान अथवा इकाई के छात्रध्छात्रा अथवा अधिकारिक नियन्त्रण पर अथवा किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य हेतु परिसर में किसी आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार शारीरिक बल प्रयोग की धमकी अथवा कोई अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में विश्वविद्यालय तंत्र के किसी संस्थान अथवा संस्थान की इकाई में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यो. पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाना।
3. विशेष निर्णय जिन पर विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में नियन्ता अथवा अन्य संस्थानों के सन्दर्भ में सम्बन्धितसंस्थान में अनुशासन निर्वहन हेतु उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय एवं किसी भी संस्थान के परिसर में लाउडस्पीकरों अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
4. विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान अथवा एक से अधिक संस्थानों या किसी संस्थान की इकाई द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण शिक्षणेत्तर अथवा साहित्यिक सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड 4 में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रेफरियों एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन करना अथवा विरोध करना।
6. विश्वविद्यालय की व्यवस्था के किसी संस्थान या ऐसे संस्थान की इकाई अथवा ऐसे संस्थान व इकाई सम्बन्धित किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावे जिनमें पत्रावलियां पंपलेट पोस्टर प्रेस अधिसूचनाये आदि सम्मिलित है, का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थों का रखना एवं वितरण।
8. ऐसा काई कृत्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के मध्य के मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
9. कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन नियमों की अवहेलना करता हो।
10. किसी सशस्त्र के रखने, प्रदर्शन करने अथवा उससे धमकाने सम्बन्धी सभी गतिविधियों।
11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
12. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।

14. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार युक्त अथवा यौन उत्पीड़न का आभास कराने वाला कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
15. मिथ्या कथन अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
16. विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई के नाम के किसी कार्यक्रम की योजना अथवा किसी संचार या प्रतिवेदन में अनाधिकृत प्रयोग अथवा सम्बन्धित संस्थान अथवा इकाई द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत उद्देश्यों से भिन्न मन्तव्यों हेतु प्रयोग।
17. किसी भी रूप में रिश्वत देने का कोई प्रयास अथवा कोई अन्य भ्रष्ट आचरण।
18. कोई ऐसा कृत्य जो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई की सम्पत्ति को को क्षति पहुचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हो।
19. कोई कृत्य जो निषिद्ध भवनों अथवा क्षेत्रों में अनाधिकृत उपस्थिति अथवा प्रवेश या उल्लंघन सदृश्य हो तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई के भवनों पर कब्जा।
20. ऐसा कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई के कार्यकलापों में किरावाह्य व्यक्ति अथवा संस्था या प्राधिकारी के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करता हो अथवा उसका आशय रख हो।
21. अनाधिकृत कोष संग्रह।
22. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपर विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी किसी इकाई में प्रविष्ट होना।
23. नैतिक अधर्मता सदृष्य कोई कृत्य।
24. कोई अन्य कृत्य जो विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय व्यवस्था के किसी इकाई के अधिकारियों अकार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हो।
25. खण्ड–2 में पारिभाषित रेगिंग करने सम्बन्धी अथवा उस में लिप्त होने सम्बन्धी कोई कृत्य।
26. छात्रों को परिसर में मोबाईल फोन अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक यत्र पर संगीत सुनना अथवा कोई दू सामग्री देखना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

खण्ड– 2

पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरण

1. विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा को नियन्ता कार्यालय द्वारा एक पहचान पत्र किया जायेगा। किसी छात्रध्छात्रा को जारी पहचान पत्र का ही उसके विश्वविद्यालय का छात्र/छात्रा होल का एक प्रमाण नाला जायेगा। नियन्ता मण्डल के किसी सदस्य के मांगने पर प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने में किसी छात्र/छात्रा के असमर्थ रहने की स्थिति में उसे अनाधिकृत प्रवेशकर्ता माना जायेगा एवं उसके विरूद्ध (विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन) कार्यवाही की जायेगी। पहचान पत्र खो जाने की सूचना नियन्ता कार्यालय को देना होगा नियन्ता कार्यालय से इस आशय का आवेदन प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति सलग्न करते हुये तथा शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि पहचान पत्र नियन्ता कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
2. मांग करने पर छात्र/छात्राओं को चरित्र प्रमाण पत्र नियन्ता कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अक्सर नौकरी के लिए आवेदन करते समय छात्र/छात्रओं से समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। नियन्ता द्वारा अधिकृत रूप से जारी चरित्र प्रमाण पत्र को सामान्यतः छात्रध्छात्रा का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है लिखित आवेदन करके निर्धारित शुल्क जमा करने पर छात्रों को जितनी बार आवश्यकता हो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। परन्तु जिन छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया गया हो अथवा जिन्हें आचार संहिता के उलंघन का दोषी पाया गया हो अथवा रैगिंग में लिप्त पाया गया हो उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्राविधान :

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरान्त जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा। यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित है, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है। इससे आगे बढ़ते हुये एक विशेष पहल के रूप में छात्राओं में आत्म विश्वास संवर्द्धन हेतु प्रकोष्ठ द्वारा सैन्य विधाओं एवं योग की कक्षायें आयोजित की जाती है। यह प्रकोष्ठ महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर विरुष व्याख्यान भी आयोजित करता है। यह प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय द्वारा छात्राओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पर्यवण भी करता है तथा विश्वविद्यालय द्वारा महिला उत्पीडन निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।